विनियोग संख्या 63 – भारत का उच्चतम न्यायालय
APPROPRIATION No. 63–SUPREME COURT OF INDIA

				कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*33,05,00*		*39,51,00*	*33,57,62*	*–5,93,38*
पूरक	*Supplementary*	*6,46,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*5,68,00*

टीका और टिप्पणियां

1. *विनियोग* में, कुल बचतें *(593.38 लाख रु.)* फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए *646.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* का 92 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 15 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Notes and comments

1. In the *appropriation*, the overall savings (*Rs.593.38 lakhs*) constituted 92 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.646.00 lakhs* obtained in February, 2004 and 15 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	*O.*	*3305.00*	*3383.00*	*3357.62*	*–25.38*
पू.	*S.*	*646.00*			
पु.	*R.*	*–568.00*			

(I) "उच्चतम न्यायालय - स्थापना" (*प्रभारित*) के अंतर्गत *3305.00 लाख* रु. के मूल *विनियोग* को *646.00 लाख* रु. का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *3951.00 लाख* रु. कर दिया गया, तथापि, जो माननीय न्यायाधीशों के कुछ पदों को न भरे जाने और वकीलों के चेम्बरों का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए स्थगित कर दिए जाने के कारण *593.38 लाख* रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Supreme Court - Establishment" (*Charged*) – the original a*ppropriation of Rs.3305.00 lakhs* was augmented to *Rs.3951.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.646.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.593.38 lakhs* - due to non-filling up of some posts of honourable judges and postponement of construction of lawyer's chambers to 2004-05 by the Central Public Works Department.